

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215931

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

(CIN No.-U65110BR 1984SGC 001964)

आदेश

"मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना" में अनुमानित योजना लागत के आधार पर एकरूपता के दृष्टिकोण से ऋण की स्वीकृति हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-4675 दिनांक-19.03.2018 एवं निगम के निदेशक पत्र की 104वीं बैठक दिनांक-29.05.2018 में लिए गये निर्णय के आलोक में अधिकतम 2 लाख रुपये तक के लिए लघु ऋण एवं 2 लाख से अधिकतम 5 लाख तक के लिए वृहत ऋण अर्थात् 2 क्षेत्रों में निम्नरूपेण पुर्ननिर्धारित की गयी है:-

लघु ऋण (अधिकतम 2 लाख रुपये तक)	वृहत ऋण (2 लाख रुपये से अधिकतम 5 लाख तक)
ब्यूटी पार्लर, जेनरल स्टोर, स्टेशनरी दुकान, चूड़ी-लहरी दुकान, पारचून, किराना दुकान, इलेक्ट्रिक सामग्री की दुकान, क्लॉकरी की दुकान, प्लास्टिक की दुकान, ऑटोमोबाइल रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स की दुकान, इलेक्ट्रिक एवं इम्प्रोडरी की दुकान, टी. स्टॉल, पान की दुकान, चाय-नाश्ता की दुकान, बकरे/मुर्गा का मांस की दुकान, टायर-ट्यूब रिपेयर की दुकान, अंडा की दुकान, मोमबत्ती/अगरबत्ती बनाना, मोटर रिवाइडिंग, एपलिक वर्क, जूट-बैग का निर्माण, मोबाइल/लैपटॉप रिपेयर, आँटा चक्की/ मसाला पिसाई उद्योग, तेलघानी उद्योग, ई-रिक्शा एवं फल सब्जी इस प्रकार का अन्य इत्यादि।	मोबाइल दुकान, ब्लॉक प्रिंटिंग मशीन, चूड़ी-लहरी कारखाना, शीप उद्योग, गैट-ग्रील निर्माण, राईस/चूड़ा मील, जेनरेटर, डेस्क-टॉप प्रिंटिंग, कम्प्यूटर स्पेयर एवं दुकान, टेम्पू, मिनी भैन, मॉलवाहक भैन, स्कारपियो, सुमो, बेलेंरो, रेडिमेड, फर्नीचर शॉप, जूता-चप्पल दुकान, कपड़ा की दुकान, अनाज खरीद-बिक्री, बिल्डिंग मटेरियल, दवा की दुकान, मुर्गी पालन, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की दुकान, मीनरल वाटर प्लान्ट, ज्वेलरी की दुकान, हाडवेयर की दुकान, पैथोलोजी, कोचिंग इन्स्टीट्यूट, बैग कारखाना, बैकरी, फ्लैक्स एवं डिजिटल प्रिंटिंग दुकान, मेडिकल इक्विपमेंट मनोफाईकचरिंग, स्टील फैब्रिकेशन, टायर-ट्यूब की दुकान एवं इस प्रकार की अन्य इत्यादि।

- उपरोक्त वर्णित ट्रेड के अतिरिक्त किसी अन्य उपयुक्त ट्रेड में भी चयन करने के लिए जिला चयन समिति को प्राधिकृत है।
- लघु कोटि के चिह्नित बहुत सारे ट्रेड ऐसे हैं, जिसे व्यापक रूप में भी कारोबार किया जा सकता है। अतएव यदि कोई आवेदक लघु ऋण का ट्रेड चयन करता है परन्तु उस ट्रेड को वृहत पैमाने पर करने के लिये अधिक राशि की माँग करता है तो जिला चयन समिति इस सम्बन्ध में समुचित निर्णय लेकर उपयुक्त सीमा तक राशि बढ़ा सकती है।
- इस योजना के तहत 2 लाख रुपये से अधिक राशि के लिए चयनित आवेदकों के द्वारा ऋण स्वीकृत के समय सक्षम गारंटर उपलब्ध नहीं होने या अन्य कारणों से 1 लाख रुपये तक की ऋण स्वीकृत के लिए निगम को अनुरोध-पत्र समर्पित कर सकता है एवं निगम इस पर निर्णय लेगा।

H0/-

प्रबन्ध निदेशक

दिनांक-----

ज्ञापक-----

प्रतिलिपि:-विशेष सचिव-सह-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार को सूचनाार्थ प्रेषित।

H0/-

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापक-----

प्रतिलिपि:-सभी जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/निगम के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों/सभी प्रमण्डलीय प्रभारियों/लेखा शाखा/ऋण शाखा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।